न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0न0 – 88/2024

अनवान : –

1. पवन कुमार पुत्र चेतराम जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा।
2. दलविन्द्र सिंह पुत्र चेतराम जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा।

वादीगण

बनाम

1. चेतराम पुत्र निकूराम जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा।
2. सिलोचना पुत्री चेतराम जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा।
3. मेवा देवी पुत्री चेतराम जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा।
4. किरण पुत्री चेतराम जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
6. पीएनबी शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।
7. फुली पत्नी चेतराम जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री भानूप्रताप सिंह वादी
श्री अमरजीत सिंह प्रतिवादी

निर्णय दिनांकः

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 12 एमएसआर के खाता सं0 123/94 की कुल 3.5420है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/4 हिस्सा रोही मौजा चक 12 एमएसआर के खाता सं 39/37 की कुल 3.7950है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम व रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सं0 65/109 की कुल 12.7340है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति–रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादीगण की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादीगण अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादीगण अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.11.21 16:59:32 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर [illegible]ण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी [illegible] प्रतिवादी[illegible] ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी स[illegible] की ओर से [illegible] किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। [illegible]ने बहस वकील वादीगण [illegible]न किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें प्रतिवादीगण के साथ–साथ वादीगण का

Scanned with OKEN Scanner

जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा चक 12 एमएसआर के खाता सं0 123/94 की कुल 3.5420है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/4 हिस्सा रोही मौजा चक 12 एमएसआर के खाता सं 39/37 की कुल 3.7950है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम व रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सं0 65/109 की कुल 12.7340है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों में जमाबंदी पैतृक से उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई कृषि भूमि है। जिसमें वादीगण के साथ-साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। पत्रावली में प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना अंकित है। उपरोक्त वाद भूमि में प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 एवं 7 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादीगण व कर शून्य कर लिया है। चूंकि उक्त वाद भूमि के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के नाम रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सं0 64/68 की कुल 3.9740है0 अन्य कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो प्रतिवादी सं0 1 के नाम यथावत् दर्ज रहेगी। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मौजा चक 12 एमएसआर के खाता सं0 123/94 की कुल 3.5420है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/4 हिस्सा रोही मौजा चक 12 एमएसआर के खाता सं 39/37 की कुल 3.7950है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम व रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सं0 65/109 की कुल 12.7340है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/4 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 चेतराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी सं0 1 पवन कुमार व वादी सं0 2 दलविन्द्र सिंह को बहिस्सा बराबर अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। जमाबंदी में दर्ज गै0मु0 खाला-रास्ता एवं किस्म को यथावत् रखा जावें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। चूंकि प्रतिवादीगण ने अपना हक हिस्सा वाद भूमि से वादीगण के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। अतः नियमानुसार पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी अदा करने पर एवं यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 7/11/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.11.21 16:59:32 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस

मि0न0 – 88 / 2024

अनवान : –

1. पवन कुमार पुत्र चेतराम जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा।
2. दलविन्द्र सिंह पुत्र चेतराम जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा।

वादीगण

बनाम

1. चेतराम पुत्र निकूराम जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा।
2. सिलोचना पुत्री चेतराम जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा।
3. मेवा देवी पुत्री चेतराम जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा।
4. किरण पुत्री चेतराम जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
6. पीएनबी शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।
7. फुली पत्नी चेतराम जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री भानूप्रताप सिंह व वकील प्रतिवादीगण श्री अमरजीत सिंह की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 12 एमएसआर के खाता सं0 123 / 94 की कुल 3.5420है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1 / 4 हिस्सा रोही मौजा चक 12 एमएसआर के खाता सं 39 / 37 की कुल 3.7950है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम व रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सं0 65 / 109 की कुल 12. 7340है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1 / 4 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 चेतराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी सं0 1 पवन कुमार व वादी सं0 2 दलविन्द्र सिंह को बहिस्सा बराबर अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। जमाबंदी में दर्ज गै0मु0 खाला–रास्ता एवं किस्म को यथावत् रखा जावें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। चूंकि प्रतिवादीगण ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है अतः नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने पर एवं यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 7/4/24 को हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.11.21 16:59:32 IST
Reason: SelfAttested

Kalpit

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner